

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2014/भाद्र 3, 1936

No. 249]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2014/BHADRA 3, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

**फा.सं. 15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.**—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हो, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषध प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजा जा सकेगा ।

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

## प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) (संशोधन) विनियम, 2014 है।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 के परिशिष्ट क में, खाद्य सहयोग्य की सूची के संबंध में,—
- सारणी 1 में, क्रम सं. ण के स्तंभ सं. (1) से (4) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी,—

(1)	(2)	(3)	(4)
त	प्रसंस्करण सहायता		
1.	ग्लुकोज ऑक्सीडेस (एसपरगिल्लुस निगर)	जीएमपी	-
2.	लिपासे (एसपरगिल्लुस फ्लेवस), (एसपरगिल्लुस निगर), (एसपरगिल्लुस ओरयेजे), (ब्रेवीबेकट्रम लिनेस), (केनडीडा लिपोलायटिका), (म्मूकोर जावानिकयस), (म्मूकोर मिहेई), (म्मूकोर पुसीललुस), (राइजोपुस अरहीजस), (राइजोपुस डेलेमार), (राइजोपुस निगरीकान), (राइजोपुस निवेयस)	जीएमपी	-
3.	जाइलानेसे, (एसपरगिल्लुस निगर), (स्पोरोट्रीचुम दिमोरफोसपोरम), (स्ट्रीपटोमाइसस एसपी.), (त्रिचोडेरमा रीसेई)	जीएमपी	-

डी. के. सामंतराय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./191 एफ/14]

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक एफ 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्तर्वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा किए गए :

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013
- (ii) फा. सं. पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**(Food Safety and Standards Authority of India)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th August, 2014

**F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI.**—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 read with Section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (2), for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestion, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

**Draft regulations**

**1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2014

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in Appendix A, relating to list of food additives,—

In Table No. 1, after serial No. O, relating to column No. (1) to (4) thereto, the following entries shall be inserted,—

(1)	(2)	(3)	(4)
P	Processing Aid		
1.	Glucose Oxidase ( <i>Aspergillus niger</i> )	GMP	-
2.	Lipase ( <i>Aspergillus flavus</i> ), ( <i>Aspergillus niger</i> ), ( <i>Aspergillus oryzae</i> ), ( <i>Brevibacterium lineus</i> ), ( <i>Candida lipolytica</i> ), ( <i>Mucor javanicus</i> ), ( <i>Mucor miehei</i> ), ( <i>Mucor pusillus</i> ), ( <i>Rhizopus arrhizus</i> ), ( <i>Rhizopus delemar</i> ), ( <i>Rhizopus nigrican</i> ), ( <i>Rhizopus niveus</i> )	GMP	-

3.	Xylanase, (Aspergillus niger), (Sporotrichum dimorphosporum), (Streptomyces sp.), (Trichoderma reesei)	GMP	
----	--	-----	--

D. K. SAMANTARAY, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./191.F/14]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2010 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013.
- (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013.
- (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

**फा.सं. पी. 15025/265/2013-पीए/एफएसएसएआई.**—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उक्त उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजा जा सकेगा ।

आक्षेप और सुझाव, जो उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में इस प्रकार उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ;

#### प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2014 है ।  
(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में,—